धर्मार्थ कार्य विभाग
का
नागरिक अधिकार पत्र

(सिटिजन चार्टर)

उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

मई– 2006

संदेश

धर्मार्थ कार्य विभाग के क्रिया कलापों के सम्बन्ध में भारत सरकार के सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के परिप्रेक्ष्य में नागरिक चार्टर (सिटिजन चार्टर) तैयार किया गया है। आशा है विभागीय जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराने एवं गतिशील व त्वरित निराकरण में उक्त नागरिक चार्टर अत्यन्त ही उपयोगी एवं प्रभावी सिद्ध होगा।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की अधिसंख्य सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश सभ्यता एवं संस्कृति का पालना कहा जाता रहा है। बहुत सी धरोहरें तो अनुरक्षण एवं पुनरूद्धार के अभाव में उपेक्षित सी हो गई हैं। यदि सही समय पर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे परिदृश्य से ओझल हो सकती हैं और इनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

बहुत से धार्मिक स्थल/मंदिर ऐसे हैं जहॉ वर्ष में अधिक संख्या में पर्यटक/श्रद्धालुओं का आवागमन होता है किन्तु वहॉ शुद्ध पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, विश्राम गृह/ धर्मशाला, सड़क मार्ग, शौचालय आदि की सुव्यवस्था के अभाव एवं इन स्थानों पर निरन्तर हो रहे अतिक्रमण के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

प्रथम चरण में मैने ऐसे 37(सैतिस) स्थानों को चिन्हित कर उनकी सूची प्रस्तुत करते हुए इन स्थानों की सुरक्षा एवं इनके अनुरक्षण की ओर मा0 प्रधान मंत्री जी भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और उनसे इस निमित्त आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की गई है। आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इन धरोहरों का एक अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा।

लखनऊ
दिनांक 1 मई –2006

मंत्री,
कृषि एवं धर्मार्थ कार्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

धर्मार्थ कार्य विभाग नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर)

1– विभाग का इतिहास

धर्मार्थ संस्थाओं तथा मंदिरों की व्यवस्था आदि से संबंधित कार्यो के निस्पादन हेतु दिनांक : 19 दिसम्बर, 1985 को धर्मार्थ कार्य विभाग का सृजन हुआ।

2– विभाग की मुख्य गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

धर्मार्थ कार्य विभाग को निम्नलिखित विषय आवंटित हैं :–

(1) धर्मार्थ सन्दान अधिनियम , 1890
(2) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983
(3) मंदिरों एवं धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था।
(4) धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान।
(5) विलीनीकृत राज्यों के मन्दिरों की व्यवस्था एवं नियंत्रण तथा अनुदान।
(6) विभागीय आय–व्ययक, अनुदान व्यवस्था तथा लेखा एवं लोक लेखा आपत्तियां ।
(7) प्रदेश में स्थित अन्य प्रान्तों के मन्दिरों तथा धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था आदि।
(8) प्रदेश के समस्त धार्मिक मंदिरों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित शिकायतों आदि की जॉच तथा उनका निस्तारण।
(9) उपरोक्त से संबधित संसद, विधान सभा तथा विधान परिषद प्रश्न।
(10) प्रदेश में विद्यमान लोक महत्व के तीर्थ स्थलों पर स्थित मन्दिरों आदि के अधिग्रहण सम्बन्धी विधिक कार्यवाही।
(11) उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत चलने वाले वादों याचिकाओं रिटों आदि की पैरवी से सम्बन्धित कार्य।

व्यवहरित कार्य

धर्मादा संदान अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत यदि किसी ट्रस्ट का संचालन उसकी प्रबन्ध समिति उपयुक्त नहीं पाती और वह प्रशासन के किसी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में रखे जाने का आवेदन करती है तो इस संबंध में धारा–5 (1) के अधीन एक अधिसूचना से ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति रजिस्ट्रार चैरिटेबुल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट के पक्ष में यथाअधिनियम की धारा–4 (1) में प्राविधान है, रख दिया जाता है। इस विषय पर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। ट्रस्ट के ऐसी सम्पत्तियों के जिन्हे कोषाध्यक्ष चेरिटेबुल इन्डाउमेंट के पक्ष में रखा गया है, के रखरखाव एवं अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य का सुनिश्चियन वित्त लेखा परीक्षा विभाग करते हैं।

जहॉ तक उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 का प्रश्न है, जिसके द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का प्रबंधन एक न्यास परिषद के अधीन रखा गया है। न्यास परिषद में एक अध्यक्ष एवं पॉच सदस्य होते हैं।

धार्मार्थ संस्थाओं को अनुदान देने हेतु कोई धनराशि आय–व्ययक में व्यवस्थित नहीं की गई है अतः इस विषय पर वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

जहॉतक विलीनीकृत रियासतों के मंदिरों की व्यवस्था, नियंत्रण तथा अनुदान का सम्बन्ध है, इसके अन्तर्गत छः जनपदों झांसी, महोबा, जालौन, चित्रकूट, वाराणसी तथा हमीरपुर में स्थित विलीनीकृत रियासतों के पुजारियों हेतु कुल रू0 16,506–00 (रूपये सोलह हजार पॉच सौ चार मात्र) बंधान स्वरूप प्रतिवर्ष स्वीकृत किया जाता है। इस हेतु सामान्य प्रशासन के बजट में अनुदान संख्या 84 के अन्तर्गत धनराशि व्यवस्थित की जाती है।

उत्तर प्रदेश के धार्मिक मंदिरों एवं संस्थओं से संबंधित शिकायतों आदि के प्रकरण भी प्रायः विभाग में प्राप्त होते है और इनपर सम्बन्धित जिलाधिकारियों/ मण्डलायुक्तों से जॉच करा करके आख्या प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जाता है।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली वार्षिक आय के सापेक्ष वहॉ के कर्मचारियों/ पुजारियों आदि के वेतन, रखरखाव एवं अन्य व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शासन की ओर से पी0सी0एस0 संवर्ग का एक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तथा वित्त एवं लेखा सेवा का एक अधिकारी सहायक लेखधिकारी के पद पर मंदिर में कार्यरत है। आय–व्ययक तथा नीति विषयक प्रस्ताव न्यास परिषद के अनुमोदनोपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

समस्याएं

विभाग को प्रायः ऐसे बहुत से पत्र/प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिनमें मंदिरों/ धार्मिक स्थलों के निर्माण, रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु सहायक के रूप में धनराशि की मॉग की जाती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है धर्मार्थ कार्य विभाग में आय व्ययक में कोई व्यवस्था न होने के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है कि धर्मार्थ कार्य विभाग के आय व्ययक में समुचित धनराशि की व्यवस्था कराए जाने पर विचार कर लिया जाय।

कार्य क्षेत्र

प्रदेश के समस्त मंदिर, धार्मिक स्थल धर्मार्थ कार्य विभाग के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

उद्देश्य

धार्मिक स्थलों पर मूलभूत जन सुविधाओं यथा मार्ग व्यवस्था, विश्राम गृह, प्रकाश व्यवस्था, पेय जल सुविधा जलपान भोजन आदि को सुलभ कराया जाना है।

कार्यरत अधिकारी

धर्मार्थ कार्य विभाग में शासन स्तर पर केवल एक अनुभाग है। इसमें नियंत्रणाधीन कोई विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष नहीं है। विभाग में शासन के सम्प्रति निम्नलिखित पद के अधिकारी तैनात है :–

		कार्यालय	दूरभाष संख्या
(1)प्रमुख सचिव	सी0एच0	3164	2238455

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी एवं न्यास परिषद।

उ0 प्र0 श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 के प्राविधानों के अधीन वहॉ के प्रशासन हेतु निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत हैः–

1– मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी0सी0एस0 संवर्ग का जिसकी तैनाती शासन के नियुक्ति विभाग से होती है।)

2– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकरी (तहसीलदार स्तर का जिसकी नियुक्ति राजस्व परिषद से होती है)

3– सहायक लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा संवर्ग का जिसकी नियुक्ति निदेशक कोषागार द्वारा की जाती है।)

सम्प्रति उक्त तीनों पद भरे हैं। न्यास परिषद में कार्यरत कुल (6) सहायक है जो मानदेय पर रखे गये हैं, तथा कार्यरत पुजारियों की संख्या (20) है।

अधिनियम में न्यास परिषद के गठन की व्यवस्था है जिसका स्वरूप निम्नवत् है :–

1– अध्यक्ष – सम्प्रति यह पद रिक्त है। आयुक्त वाराणसी मण्डल पदेन अध्यक्ष हैं।

2– सदस्य – पांच पद – केवल एक सदस्य (श्री चन्द्रमौलि उपाध्याय) कार्यरत। चार– पर चयन अभी प्रक्रिया में है।

महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय हेतु समय–2 पर न्यास परिषद की बैठकें आयोजित होती है। न्यास परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव शासन की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु भेजे जाते हैं तथा शासकीय कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मंदिर की वार्षिक आय लगभग 2.20 करोड़ की है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 58–00 लाख के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंदिर की मुख्य आय वहॉ पर प्रत्येक दिन होने वाली विभिन्न आरती जिसमें, मंगला आरती, सप्तर्षि एवं भोग आरती आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त रूद्राभिषेक एवं रूद्री आदि पूजन विधियॉ भी संचालित होती रहती हैं।

वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े रानी भवानी मंदिर एवं पंचमुखी गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार तथा ललिताघाट का जीर्णोद्धार किए जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।